महत्वपूर्ण एवं खास

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये खाद्यान्न प्रबंधन

» अप्रेल एवं मई का चावल आबंटन एकमुश्त जारी

रायपुर। राज्य शासन द्वारा कोरोना के संक्रमण को रोकने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं । राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रबंधन के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदेश के उचित मूल्य दुकानों से अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित, निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्डधारी हितग्राहियों को अपैल एवं मई 2020 का चावल एक साथ वितरण करने का निर्णय लिया गया है । दो माह का चावल एक साथ वितरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा एकमुश्त आबंटन जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को उचित मुल्य के दुकानों में वितरण के समय एक-दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखने को कहा है । साथ ही उचित मूल्य के दुकानों में आने वाले प्रत्येक राशन कार्ड धारकों के हाथों की सफाई सेनिटाईजर अथवा साबुन पानी से कराने के निर्देश दिए हैं। खाद्य विभाग द्वारा जारी आबंटन आदेश के अनुसार जिले के प्रत्येक उचित मूल्य के दुकानों से चावल उत्सव का आयोजन कर चावल वितरित किया जाएगा। राशन कार्डधारी उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार एक ही माह का अथवा दोनों माह का चावल एक साथ उठा सकता है। उपभोक्ता को दो माह का चावल एक साथ लेने की बाध्यता नही है। उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार अपैल माह का चावल अपैल में एवं मई माह का चावल मई में उचित मूल्य की दुकानो से उठा सकता है। राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं अंत्योदय, प्राथमिकता, एकता निराश्रित, अन्नपूर्णा एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को नमक, चना, शक्कर का वितरण पात्रता अनुसार एक माह के लिए किया जाएगा । इसके अलावा सामान्य (एपीएल) राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं के लिए भी माह अपैल का आबंटन जारी किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी खाद्यान्न आबंटन आदेश में प्रदेश के प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में एक सप्ताह से 15 दिनों तक के लिए बड़ी मात्रा में चावल रखने के लिए सुरक्षित स्थान की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। उचित मूल्य की दुकानों में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भंडारित खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन निगरानी समिति के माध्यम से खाद्य विभाग के अधिकारियों से पुष्टि कराया जाएगा। राशन कार्डधारियों को दो माह का खाद्यान्न एक मुश्त वितरण करने के संबंध में जानकारी सभी उचित मूल्य के दुकानों में सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के साथ ही संचार माध्यमों एवं मुनादी के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी देने कहा है। आदेश में कलेक्टर द्वारा तथा खाद्य एवं सहकारिता आदि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से भण्डारण एवं वितरण व्यवस्था सतत निगरानी करने के

कबीरधाम कलेक्टर ने पूरे जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए धारा 144 लागू किया

» कबीरधाम कलेक्टर श्री शरण ने आदेश कठोरता से पालन करने कहा

कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए पूरे कबीरधाम जिले में 31 मार्च या आगामी आदेश तक धारा 144 लागू कर दिया है। यह आदेश आज 22 मार्च से लागू किया गया है। इससे पहले यह धारा 144 नगरीय निकाय सीमा के लिए लागू किया गया था। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने की दृष्टि से ऐपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत् जिला के समस्त नगरीय सीमा के अंतर्गत आने वाले चुनिंदा संस्थाओं, दुकानों और प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 31 मार्च या आगामी आदेशपर्यन्त अनिवार्य रूप से बंद रखने के लिए आदेशित किया है। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। सभी मण्डियों, एवं दुकान व ठेला (सब्जी , फल, अनाज), मेडिकल संस्थाएं एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं , पेट्रोल पंप, गैस ऐजेंसी , बैंकिंग सेवाएं (जिसमें एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे) उल्लेखनीय है कि इससे पहले जारी आदेश में इन संस्थानों में 10 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया था।

कलेक्टर के निर्देशानुसार मातृ एवं शिशु अस्पताल में किया गया मॉकड्रिल

» मरीज के इलाज की पूरी प्रक्रिया का किया गया अभ्यास

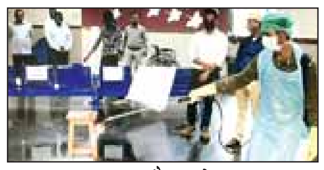

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देशानुसार मातृ शिशु अस्पताल में संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु मॉक ड्रिल कर प्रोटोकॉल अनुसार मरीज के इलाज का अभ्यास किया गया। मातृ शिशु अस्पताल को कोरोना के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार किया गया है। अस्पताल के तृतीय तल को संदिग्ध तथा द्वितीय तल को पॉजिटिव केसेस के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जिसके लिए सारी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गयी है। इसी कड़ी में चिकित्सीय तथा नर्सिंग स्टाफ ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार मरीज की स्क्रीनिंग से लेकर अस्पताल में भर्ती करने तथा टेस्ट के लिए सैंपल लेने संबंधी सारे क्रिया-कलापों का ड्रिल किया। इस दौरान मेडिकल स्टाफ द्वारा प्रोटेक्शन किट पहनने तथा रखी जाने वाली अन्य आवश्यक सावधानियों का भी अभ्यास किया गया। साथ ही अस्पताल परिसर को नियमित रूप से डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। ज्ञात हो कि कलेक्टर यशवंत कुमार तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने गत दिवस अस्पताल का निरीक्षण कर इलाज प्रक्रिया का ड्रिल कर अभ्यास करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके परिपालन में आज पूरी प्रक्रिया संपादित कर मेडिकल स्टाफ ने पुनः अभ्यास किया।

जनता कर्फ्यू सड़कों पर पसरा सन्नाटा दुकानें बंद

नारायणपुर। नारायणपुर में सड़कों पर जनता कर्फ्यू का खासा असर देखने को मिला। जिले का एकमात्र बड़ा बाजार सदर बाजार आज पूरी तरह बंद रहा। मुख्यालय में लगने वाली साप्ताहिक हाट बाजार भी आज नहीं लगा।

बस स्टैण्ड में अधिकांश बसें खड़ी नजर आयी। देश के प्रधानंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू का किया गया आव्हान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा दिया गया समर्थन के बाद पूरे छत्तीसगढ़ सहित नारायणपुर जिले में भी जनता द्वारा न बन्दूक उठाई न लड़ाई लड़ी जनता कर्फ्यू में आम नागरिकाकें की जीत हुई। कोरोना वायरस (कोर्विड-19) के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 मार्च को रात्रि को जनता के नाम संदेश में जनता कर्फ्यू की अपील की थी और घर से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया था। इस अपील का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समर्थन करते हुए जनता से भी जनता कर्फ्यू में घर से बाहर नहीं निकलने का अनुरोध किया था। आज रविवार को जिले के लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसारा रहा। इक्का-दुक्का लोग ही नजर आयें। कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा ने भी जिले के नगरीय और ग्रामीणवासियों से जनता कर्फ्यू में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की थी।

» अस्पताल पहुँचकर घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की

गृह मंत्री ने सुकमा में नक्सली मुठभेड़ में जवानों के शहादत को किया नमन

रायपुर। गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने सुकमा में नक्सली मुड़भेड़ में शहीद हुवे जवानों की खबर को बेहद दुखद बताते हुवे उनकी वीरता को प्रणाम किया है। गृह मंत्री ने भगवान से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की है। श्री साहू ने रामकृष्ण हॉस्पिटल में घायल जवानों से मिलकर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना और घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है। उन्होंने ने चिकित्सकों को बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश दे दिए गए है।

उल्लेखनीय है कि कल सुबह नक्सलियों के मौजूदगी की सूचना पर DRG और स्ञ्रस्न का एक दल मिनपा इलाके में सर्चिंग पर निकला हुआ था। कोरजागुड़ा के जंगलों में जवानों का नक्सलियों से सामना हुआ इस मुठभेड़ में 17 जवानों के शहीद होने की खबर है। वहीं 15 जवान घायल हैं। जिन्हें हेलिकॉप्टर की मदद से रायपुर रेफर किया गया है।

कलेक्टर द्वारा जनता कर्फ्यू के घर से बाहर नही निकलने की अपील

राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जय प्रकाश मौर्य ने कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आज 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान जनता से मिले अभूतपूर्व सहयोग के लिए जनता की सराहना की है। आम जनता के हित मे ही जनता कर्फ्यू थी। जिले में हर नागरिक अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जनता कर्फ्यू में सहयोग दिया। जनता ने जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दिया है।

23 मार्च से जिला चिकित्सालय में गैर जरूरी ऑपरेशन टालने के निर्देश

» नियमित परीक्षण हेतु मरीजों को अस्पताल में आने की मनाही, दूरभाष से ले सकते है सलाह

» अत्यावश्यक होने पर नोडल आफिसर एपिडेमोलोजिस्ट से संपर्क करने के बाद ही जाए अस्पताल

न्याय साक्षी/रायगढ़। देश मे तेज़ी से बढ़ रही महामारी कोरोना के नियंत्रण हेतु प्रशासन एवं अधीनस्थ विभाग अपनी त्वरित सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

साथ ही प्रशासन के निर्देशों तथा नियमों का परिपालन कर रहे है। इसी क्रम मे संचालक स्वास्थ सेवाएं छ.ग.शासन द्वारा 21 मार्च 2020 को पत्र द्वारा समस्त शासकीय चिकित्सालयों मे ओपीडी एवं आई.पी.डी. संचालन बाबत दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं जिनमें ओपीडी के संचालन मे चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को नियमित परीक्षण हेतु आने से मना कर दूरभाष से सलाह देने, सर्दी-खाँसी व फ्लु हेतु पृथक ओपीडी संचालित करने, गैर आकस्मिक ऑपरेशन को टालने और भर्ती मरीजों के साथ अधिकतम 1 परिजन की अनुमति देने कहा गया है। उपरोक्त के परिपालन मे यह निर्णय लिया गया है कि लखीराम महाविद्यालय सम्बद्ध किरोड़ीमल चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में सोमवार दिनांक 23 मार्च 2020 से ये नियम लागू होंगे। समस्त नागरिकों से इन नियमों के पालन हेतु सहयोग अपेक्षित है। कोरोना के संक्रमण से बचने हेतु निवेदन है कि अति आवश्यक होने पर ही चिकित्सालय आएं।

आवश्यक जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर 104 या नोडल ऑफिसर आईडीएसपी 942419432, एपिडेमोलोजिस्ट से 700061920 से संपर्क करने के बाद ही अस्पताल आएं।

आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश

» हितग्राहियों को रेडी-टू-ईट वितरण जारी रहेगा »

» महिला एवं बाल विकास सचिव ने जारी किए निर्देश

रायपुर। राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (COVID-v9) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च 2020 तक बंद किया है। राज्य सरकार ने इस अवधि में 03 से 06 वर्ष आयु के समान्य, मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 125 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम टेक होम राशन (रेडी टू ईट)का अनिवार्य रूप से वितरण के निर्देश दिए हैं। शेष हितग्राहियों को भी पात्रता अनुसार रेडी-टू-ईट का वितरण यथावत जारी रहेगा। इस संबंध में मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने विभागीय आयुक्त, सभी संभागीय संभागायुक्तों, कलेक्टरों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मरकाम ने शहीद हुए जवानों के प्रति व्यक्त की शोक संवेदना

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सुकमा जिले के कसलवाड़ में हुई नक्सल मुठभेड़ में हुई जवानों की शहादत पर गहरा दुःख प्रकट किया है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है और कहा है कि इस शोक में कांग्रेस परिवार उनके साथ सहभागी है। उन्होंने घटना में घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

कोरोना वायरस के चलते न्यायालय कलेक्टर में निर्धारित पेशी की तिथि में परिवर्तन

न्याय साक्षी/रायगढ़। छ.ग.राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय, कलेक्टर रायगढ़ में माह मार्च 2020 हेतु निर्धारित प्रकरणों की पेशी आगामी दिनांक तक बढ़ाई गई है।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा है कि माह मार्च 2020 में निर्धारित प्रकरणों के पक्षकार तथा अधिवक्तागण आगामी पेशी दिनांक को न्यायालय कलेक्टर रायगढ़ के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो सकते है। ज्ञात हो कि 23 मार्च 2020 को निर्धारित पेशी अब 11 मई 2020 को निर्धारित की गई है। इसी तरह 24 मार्च को निर्धारित पेशी 12 मई 2020 को, 25 मार्च को निर्धारित पेशी 8 अप्रैल 2020 को, 30 मार्च 2020 को निर्धारित पेशी 18 मई 2020 को तथा 31 मार्च को निर्धारित पेशी 19 मई 2020 को निर्धारित की गई है।

» शासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करने एवं भ्रामक जानकारियों से बचने कलेक्टर ने की अपील

कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के पुख्ता जानकारी वेबसाईट जारी

» अब प्रदेश स्तर से जारी आधिकारिक आदेशों को सीधे वेबसाइट से देख सकेंगे आमजन

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा डेडिकेटेड वेबसाईट तैयार की गई है, जिस पर कोरोना वायरस (कोविड-19)संक्रमण पर नियंत्रण हेतु राज्य शासन के सभी विभागों द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का संकलन उपलब्ध है, जिसे शासन के वेबसाईट gad.cg.gov.in/cgcorona में देखा जा सकता है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले के सर्व विभाग एवं कार्यालय प्रमुख तथा जनसामान्य से कोरोना वायरस के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी पुख्ता एवं सटीक जानकारी संबंधी दिशा-निर्देश का उक्त वेबसाईट से अवलोकन करने एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन को इस आपदा की स्थिति में आवश्यक सहयोग प्रदान करें तथा अफवाहों एवं भ्रामक जानकारियों से बचना सुनिश्चित करें।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHH-